प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 148/1992

अपीलार्थी बाबुलाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

// निर्णय //

21.07.2009 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

न्यायमूर्ति

आर.एल. झंवर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 148/1992

एसबी : माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

अपीलार्थी बाबुलाल पिता गोपाल अघरिया उम्र 28
निवासी बन्दुरपाली, थाना सरिया,
जिला रायगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, (आबकारी)
बरमकेला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री शरद कदम, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।
श्री डी.के. ग्वालरे, राज्य के शासकीय अधिवक्ता।

// निर्णय //

(21.07.2009 को उद्घोषित)

आर.एल.झंवर, न्यायमूर्ति

यह दाण्डिक अपील एस.टी. क्रमांक 149/1990 में दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 24 जनवरी, 1992 के विरुद्ध है, जिसके तहत विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ ने अपीलकर्ता को एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया है और उसे 3 महीने के लिए सश्रम कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है, जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 1 महीने के लिए और सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.9.1990 को, पूर्व उपनिरीक्षक पी.एल.नायक (अ.सा.-1) सूचना मिलने पर, बिना तलाशी वारंट प्राप्त किए, अपीलकर्ता के घर गए और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर, अपीलकर्ता के घर से 5 ग्राम गांजा और एक चिलम बरामद हुई।

उन्होंने मौके पर बरामद गांजे की जांच की और गांजा व चिलम जब्त किया। उन्होंने जब्ती ज्ञापन प्र. पी/2 और पंचनामा प्र. पी/1 तैयार किया। उन्होंने सारंगढ़ के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, रायगढ़ को सौंप दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मामले को विचारण के लिए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को सौंप दिया। अपीलकर्ता के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत आरोप तय किया गया और उसे पढ़कर सुनाया गया। अपीलकर्ता ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और उसका बचाव यह था कि उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि वह अपने पिता के साथ नहीं रह रहा था और उसके और जांच अधिकारी पी.एल. नायक के बीच दुश्मनी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने तथा पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात यह माना कि अभियोजन पक्ष केवल धारा 20 के तहत मामला साबित कर सकता है और इस प्रकार अपीलकर्ता को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया तथा उसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 22 के तहत दोषमुक्त कर दिया।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से केवल दो गवाह पेश किए गए। (अभि.सा.-1) पी.एल.नायक, जाँच अधिकारी, ने बताया कि 15.9.1990 को सूचना मिलने पर, वे तुरंत घटनास्थल पर गए, अपीलकर्ता के घर की तलाशी ली और 5 ग्राम गांजा और एक चिलम बरामद की। उन्होंने यह भी गवाही दी कि उन्हें मादक द्रव्यों के परीक्षण का अनुभव है और उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, इसलिए उन्होंने मौके पर ही जब्त सामग्री की जाँच की और पाया कि बरामद सामग्री गांजा है।

उनके पूरे बयान को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि न तो उनके पास मादक द्रव्यों की जाँच करने की क्षमता का कोई प्रमाण पत्र है और न ही उनकी सेवा अवधि इतनी लंबी थी कि उन्हें इस क्षेत्र में

अनुभवी माना जा सके। उस समय उनकी सेवा अवधि केवल कुछ महीनों की थी। उन्होंने यह विवरण नहीं दिया कि उन्होंने कितने मामलों में सेवा की है।

मादक पदार्थों का परीक्षण किया गया। इसलिए, उन्हें बरामद गांजे की जाँच के लिए विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता। बरामद पदार्थ, जिसे गांजा बताया जा रहा है, की न तो रासायनिक जाँच की गई है और न ही किसी विशेषज्ञ द्वारा। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि बरामद पदार्थ गांजा ही था।

पी.एल. नायक (अ.सा.-1) ने यह नहीं बताया कि घर के किस हिस्से से उन्होंने सामग्री बरामद की। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किस आधार पर उन्होंने माना कि घर अपीलकर्ता का है। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि घर अपीलकर्ता के कब्जे में था। जब्ती के गवाहों में से एक गंगाधर (अ.सा.--2) को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया है, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और दूसरी ओर, उन्होंने एक अलग कहानी कही कि वह मौके पर पहुंचे और 'मारो मारो' शोर सुना। उन्होंने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। अन्य जब्ती गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है। इसलिए, इन परिस्थितियों में पी.एल. नायक (अ.सा.-1) पूर्व उप-निरीक्षक का बयान, बिना किसी संपुष्टि के, अकेले अपीलकर्ता को मादक पदार्थ रखने के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अधिनियम की धारा 42 और 57 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिससे अपीलकर्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मुकदमे की प्रक्रिया बाधित होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पी.एल. नायक (अ.सा.--1) ने गवाही दी है कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन इस कथन को प्रमाणित करने के लिए अभिलेखों में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 इस प्रकार है:

42. बिना वारंट या प्राधिकरण के प्रवेश, तलाशी, तलाशी और गिरफ्तारी की शक्ति। (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्रीय सरकार या सीमा सुरक्षा बल के किसी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या

कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी हो) जिसे सामान्य या विशेष द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो।

केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा, या राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग के किसी ऐसे अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी हो) जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ जिसके संबंध में अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, किसी भवन, परिवहन या संलग्न स्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच रखी या छिपाई गई है, तो वह ऐसा कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) किसी भी ऐसे भवन, वाहन में प्रवेश करना और उसकी तलाशी लेना
या स्थान;

(ख) प्रतिरोध की स्थिति में, किसी भी दरवाजे को तोड़ देगा और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को हटा देगा;

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ तथा उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों और किसी अन्य वस्तु तथा किसी पशु या वाहन को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है, तथा किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसी औषधि या पदार्थ से संबंधित अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, अभिगृहीत कर सकेगा; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा, और यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसे ओषधि या पदार्थ से संबंधित अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है:

परन्तु यदि ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना या अपराधी के निकल भागने की सुविधा दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह ऐसे भवन में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है,

अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के बाद सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी समय वाहन या संलग्न स्थान पर प्रवेश कर सकता है।

(2) जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कोई जानकारी लिखित रूप में लेता है या उसके परन्तुक के अधीन अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करता है, वहां वह उसकी एक प्रति तुरन्त अपने अव्यवहित पदार्थ वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।

धारा 42 अनिवार्य है। तलाशी लेने वाले अधिकारी का यह दायित्व था कि वह अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति तत्काल भेजे। उसने प्रावधानों का पालन नहीं किया है; इसलिए, प्रावधान का उल्लंघन घातक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 57 इस प्रकार है:

अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत, पी.एल. नायक पर यह दायित्व डाला गया है कि वह गिरफ्तारी और जब्ती की पूरी रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को दें। पी.एल. नायक (अ.सा.-1) ने कहा कि उन्होंने उपरोक्त आवश्यकता का पालन किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन्होंने उपरोक्त प्रावधानों का पालन किया था। यद्यपि उपरोक्त प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का नहीं है, फिर भी इस मामले में उपस्थित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, उपरोक्त प्रावधान का पालन न करना अभियोजन पक्ष के कथन पर संदेह उत्पन्न करता है।

57. गिरफ्तारी और जब्ती की रिपोर्ट-जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या जब्ती करता है, तो वह ऐसी गिरफ्तारी या जब्ती के पश्चात् अगले अड़तालीस घंटे के भीतर ऐसी गिरफ्तारी या जब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदार्थ वरिष्ठ अधिकारी को देगा।

यहाँ इस मामले में, विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 22 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप तय करने के बाद अपीलकर्ता पर उस अपराध के तहत मुकदमा चलाया, लेकिन विचारण पूरा होने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 22 के तहत आरोप से बरी कर दिया और उसे अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध करने के लिए दंडित किया। क्या

क्या कानून न्यायालयों को अधिनियम की धारा 20 के विशिष्ट आरोप के अभाव में अपराधी को दंडित करने के लिए अधिकृत करता है? उपरोक्त प्रश्न के उत्तर हेतु अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान उद्धृत किए गए हैं।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 22 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में, किसी मन:प्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगा सकेगा।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार है:

20. भांग के पौधे और भांग के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन करते हुए-

(क) किसी भांग के पौधे की खेती करता है; या

(ख) भांग का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात या उपयोग करता है, तो वह दंडनीय होगा-

(i) जहां ऐसा उल्लंघन गांजा या कैनाबिस पौधे की खेती से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और पचास हजार रुपए तक के जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा;

(ii) जहां ऐसा उल्लंघन गांजा के अलावा अन्य भांग से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम किन्तु बीस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा और दो लाख रुपए तक का हो सकेगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगा सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 2 (iii) के अनुसार "कैनाबिस (हेम्प)" का अर्थ है-

(ए) चरस, अर्थात् पृथक किया गया राल, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह भांग के पौधे से कच्चा हो या शुद्ध किया गया हो और इसमें गाढ़ी तैयारी और राल भी शामिल है जिसे हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में जाना जाता है;

(बी) गांजा, अर्थात् भांग के पौधे का पुष्पित या फलित शीर्ष (बीज और पत्तियों को छोड़कर जब शीर्ष के साथ न हों), चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना या निर्दिष्ट किया जाए; और

(सी) उपरोक्त किसी भी प्रकार के कैनाबिस या उससे तैयार किसी भी पेय का कोई भी मिश्रण, किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना;

(iv) "कैनबिस पौधा" से कैनाबिस वंश का कोई भी पौधा अभिप्रेत है

अधिनियम की धारा 2 (xxiii) में परिभाषित किया गया है कि, "मन:प्रभावी पदार्थ" का अर्थ है कोई भी पदार्थ, प्राकृतिक या कृत्रिम, या कोई प्राकृतिक सामग्री या कोई लवण या ऐसे पदार्थ या सामग्री की तैयारी जो अनुसूची में निर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में शामिल है।

सभी प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आने वाला अपराध, अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आने वाले अपराध से पूर्णतः भिन्न है। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आने वाला अपराध, अधिनियम की धारा 22 का कोई छोटा अपराध नहीं है। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत विशिष्ट आरोप के अभाव में, यह कहना पर्याप्त है कि यदि अभियुक्त को उस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है और दण्डित किया जाता है, तो उसके साथ पर्याप्त अन्याय होगा।

अधिनियम की धारा 20 के तहत विशिष्ट आरोप के अभाव में विचारण न्यायालय को अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने और सजा सुनाने का अधिकार नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोप के अभाव में विचारण न्यायालय अपीलकर्ता के खिलाफ दोषी ठहराने और सजा सुनाने के लिए सक्षम नहीं था।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अपीलकर्ता के विरुद्ध दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उसे तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-

आर.एल.झंवर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Kusumlata

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur